SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

अंबेडकर के राष्ट्रवाद की आलोचनात्मक समीक्षा

विनीत, शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
विनीत, शोधार्थी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/03/2024
Revised on : -----
Accepted on : 10/05/2024
Overall Similarity : 06% on 02/05/2024

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ बी आर अंबेडकर के राष्ट्रवाद पर आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। इस पत्र में अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के महत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह शोध पत्र इस पक्ष का वर्णन करता है कि राष्ट्रवाद एक विचारशीलता है जो राष्ट्र की स्थापना, संरक्षण, और प्रोत्साहन को महत्व देती है। राष्ट्रवाद के तहत एक राष्ट्र के अंतर्निहित गौरव, भावनाओं, और हितों का परिचय होता है। शोध पत्र अंबेडकर के राष्ट्र के प्रति गंभीरता के साथ सामाजिक न्याय, समानता, समरसता और राष्ट्रीय एकता के निर्माण को बल देता है। अंबेडकर का राष्ट्रवाद जातिवाद, भेदभाव, और उत्पीड़न के खिलाफ था। उन्होंने दलितों और अनुसूचित जातियों को समाज के समान अधिकारों और व्यवस्थाओं के साथ समानता की आवश्यकता को समझाया। अंबेडकर ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए आवाज उठाई। वर्तमान में उनके विचारों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब भारत की धार्मिक और जातीय विविधता के सामने चुनौतियाँ आ जाती हैं। राष्ट्रवाद पर उनके विचार एक ऐसे समाज निर्माण पर इंगित है जो सभी वर्गों के हितों और अधिकारों का समर्थन करता है। अंबेडकर एक ऐसे सशक्त समाज की कल्पना करते थे जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों की तरह संविधान द्वारा प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो और समाज को भी इतना प्रगतिशील होना चाहिए कि वे लैंगिक समानता का समर्थन करें। ऐसी प्रेरणादायक योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

मुख्य शब्द

अंबेडकर, संरक्षण, राष्ट्रवाद, संविधान.

राष्ट्रवादः एक परिचय

राष्ट्रवाद एक वैचारिक सिद्धांत है जो राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता, और सामाजिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसका अर्थ होता है राष्ट्र के लोगों की एक पहचान, एकता, और साझेदारी में समृद्धि को समर्थन करना। राष्ट्रवाद आमतौर पर एक समृद्ध और सुखी समाज के निर्माण को लेकर होता है।

राष्ट्रवाद का मूल उद्देश्य यह होता है कि लोगों को एक ही स्थानीयता, भाषा, संस्कृति, और इतिहास में जोड़ा जाए ताकि उन्हें एक साझी भावना और एकता का अनुभव हो सके। राष्ट्रवाद व्यक्तिगत और सामाजिक समानता के माध्यम से समरसता को बढ़ावा देता है।

यह विचार राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक संरचना में एकता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित करता है। हालांकि, राष्ट्रवाद के तहत कई विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, और धर्मों को एक साथ लाने की कठिनाइयाँ और विवाद भी हो सकते हैं। राष्ट्रवाद की समीक्षा और विश्लेषण समय–समय पर किए जाते रहते हैं, और इसे अलग–अलग समाज, संस्कृति, और राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

अंबेडकर और राष्ट्रवाद

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद को लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका दृष्टिकोण था कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के लिए राष्ट्रवाद एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए समानता, न्याय और समरसता की महत्ता को बढ़ावा दिया।

अंबेडकर ने भारतीय समाज में जातिवाद, जाति और वर्ण के भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने समाज में समानता की बात की और जातिवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनका उद्देश्य था समाज में सभी वर्गों को समानता की भावना से देखा जाए और उन्हें समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाएं।

अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करते समय समानता, न्याय और समरसता को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। समाज को विभाजन से बचाने और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए राष्ट्रवाद एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

अंबेडकर का राष्ट्रवाद विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए समरसता और समानता की दिशा में एक मार्गदर्शक था। उनकी योजना और दृष्टिकोण को आज भी अध्ययन किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय एकता और समृद्धि के मार्ग पर जाने का संदेश दिया जाता है।

हिंदू राष्ट्रवाद पर अंबेडकर

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के ''हिंदू राष्ट्र'' की अवधारणा या भारत के हिंदू राष्ट्र के विचार पर आलोचनात्मक विचार थे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर दलितों के अधिकारों और कल्याण के लिए हिंदू–केंद्रित राष्ट्रवाद के निहितार्थ के बारे में चिंता व्यक्त की।

अम्बेडकर मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र के विचार के बारे में संशय में थे क्योंकि उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति–आधारित पदानुक्रम और भेदभावपूर्ण प्रथाओं में गहराई से उलझा हुआ देखा था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म, जैसा कि प्रचलित है, सामाजिक असमानताओं को कायम रखता है और दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों को समान अधिकारों से वंचित करता है।

अंबेडकर यह तर्क देते हैं कि यदि हिंदू समाज के भीतर अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किए बिना भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, तो यह उच्च जातियों के प्रभुत्व को कायम रखेगा और पहले से ही उत्पीड़ित समुदायों को और अधिक हाशिये पर धकेल देगा। अम्बेडकर को डर था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना से पहले से मौजूद जाति–आधारित भेदभाव और धार्मिक असहिष्णुता और बढ़ सकती है। इसके बजाय, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया जो सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रवाद का उनका दृष्टिकोण जाति–आधारित भेदभाव और धार्मिक पूर्वाग्रहों के बंधनों

से मुक्त एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने में निहित था।

हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के बारे में अंबेडकर की आपत्तियां सामाजिक न्याय के लिए उनकी वकालत और उनके दृढ़ विश्वास से जुड़ी थीं कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल समाज के भीतर अंतर्निहित असमानताओं को संबोधित करके और सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है, भले ही उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो।

जातिवाद से लड़ाई

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रवाद को एक माध्यम के रूप में उठाया ताकि जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में समर्थन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि जब लोग अपने जातीय विभाजन को पार करके एक राष्ट्रीय एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समाज में जातिवाद का अंत हो सकेगा।

अंबेडकर ने राष्ट्रवाद को एक ऐसे समाज की दिशा में प्रोत्साहित किया जो समानता, न्याय, और सभी व्यक्तियों के अधिकारों को समर्थन करता हो। समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से दलितों और अन्य सामाजिक वर्गों को सशक्त करने के लिए राष्ट्रवाद को एक उपाय के रूप में देखा और समाज में जातिवाद और असमानता को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया।

अम्बेडकर का राष्ट्रवाद और संविधान

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा भारत के संविधान को आकार देने में उनकी भूमिका से निकटता से जुड़ी हुई थी। राष्ट्रवाद पर उनके विचार भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों में महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हुए।

राष्ट्रवाद संविधान के प्रारूपण में

संवैधानिक मूल्यः अम्बेडकर संवैधानिक मूल्यों में निहित राष्ट्रवाद के एक रूप में विश्वास करते थे। उन्होंने संविधान को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र–निर्माण के एक उपकरण के रूप में देखा। उनका दृष्टिकोण समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण करना था और ये सिद्धांत भारतीय संविधान की आधारशिला बने।

सामाजिक न्याय का समावेशः जातिगत भेदभाव के खिलाफ अम्बेडकर की लड़ाई और दलितों और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए उनकी वकालत को संविधान में प्रतिध्वनित किया गया। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मौलिक अधिकारः भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अम्बेडकर ने इन अधिकारों की पुरजोर वकालत की, उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे आवश्यक माना। उन्होंने कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतः अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया, जो सरकार को एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों में सामाजिक और आर्थिक न्याय, समान काम के लिए समान वेतन और सभी के लिए शैक्षिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।

संघीय संरचना और लोकतंत्रः अम्बेडकर ने भारत की संघीय संरचना और संसदीय लोकतंत्र की रचना में योगदान दिया। उनका लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना था जो विविध भाषा और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे, विविधता का सम्मान करते हुए एकता को बढ़ावा दे।

न्यायपालिका की भूमिकाः अम्बेडकर ने संविधान के संरक्षक के रूप में एक मजबूत और स्वतंत्र

न्यायपालिका की परिकल्पना की। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया।

इस प्रकार अम्बेडकर के राष्ट्रवादी आदर्शों को भारत के मूलभूत दस्तावेज़ में अंकित किया गया। सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों पर उनके जोर ने संविधान के प्रारूपण को गहराई से प्रभावित किया, जिससे यह समावेशिता और समतावाद पर आधारित राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण का एक उल्लेखनीय प्रमाण बन गया।

समावेशी राष्ट्रवाद

डॉ. भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद समावेशी था, अर्थात वह समाज में सभी वर्गों और समुदायों को समाहित करने वाला था। उनकी नजर में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय को एक साथ जोड़कर ही सही राष्ट्रवाद की स्थापना हो सकती थी।

अंबेडकर का राष्ट्रवाद व्यक्तिगत और सामाजिक समानता पर आधारित था। समानता को बढ़ावा दिए बिना राष्ट्र निर्माण असंभव होगा, दलितों और वंचितों के अधिकारों को सुरक्षित करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जातिवाद और असमानता के खिलाफ लड़ाई समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की ओर लेकर जाएगा। एक सशक्त भारत के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रवाद समाज में समानता, न्याय, और एकता के आधार पर खड़ा हो। उनकी राष्ट्रवादी दृष्टि में, सभी समुदायों को समाहित किया जाना चाहिए ताकि समृद्ध और समरस समाज का निर्माण हो सके। उनका यह भी उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता सिर्फ एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि समाज में समानता और समरसता के साथ एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर एक पथ प्रशस्त करे।

राष्ट्रवादः सामाजिक समस्याओं का समाधान

अंबेडकर का राष्ट्रवाद सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्त्वपूर्ण माध्यम था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के माध्यम से समाज में समानता, न्याय, और समरसता को प्राप्त करने का मार्ग देखा। उन्होंने समाज में जाति और वर्ण के भेद को नष्ट करके समानता की दिशा में आगे बढ़ने का समर्थन किया। समाज में न्याय और समानता को प्राप्त करने के लिए समरसता का स्थान उच्चतम होना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए जातिवाद और वर्णवाद के खिलाफ संघर्ष किया।

अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांतों को मजबूती से जोड़ा, जिससे समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। उन्होंने न्यायालयों, शैक्षिक संस्थानों, और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को समरसता की दिशा में ले जाने का प्रयास किया।

अंबेडकर का यह विचार था कि समाज में समानता और न्याय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता और समरसता का प्रोत्साहन करना जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक माध्यम के रूप में देखा जो समाज में समृद्धि और समानता की दिशा में बदलाव ला सकता है।

दूसरे विचारकों से तुलना

अंबेडकर के राष्ट्रवाद को दूसरे विचारकों के सिद्धांतों से तुलना करते समय, कई महान विचारकों के विचारों में कुछ सामान्यताएं और भिन्नताएं देखी जा सकती हैं।

यहां कुछ विचारक और उनके सिद्धांतों की तुलना की जा सकती है:

महात्मा गांधी: गांधीजी भी राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद अंबेडकर के दृष्टिकोण से थोड़ा अलग था। गांधीजी ने अहिंसा, सामंजस्य, और ग्राम स्वराज के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया। उनका राष्ट्रवाद जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अनुसूचनाओं पर आधारित था।

पंडित जवाहरलाल नेहरू: नेहरूजी ने राष्ट्रवाद को समाजवादी दृष्टिकोण से देखा। उनका ध्यान एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र के निर्माण पर था जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास सभी वर्गों तक पहुंचना शामिल था।

रवींद्रनाथ टैगोरः टैगोर का राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, संस्कृति के संरक्षण और समृद्धि पर आधारित था। उन्होंने राष्ट्रवाद को संस्कृति, साहित्य, और कला के माध्यम से एकता और समृद्धि का माध्यम माना।

सुभाष चंद्र बोसः बोस ने राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए मार्गदर्शक माना था। उनका ध्यान राष्ट्रीय उत्थान और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए समर्थन करने पर था।

अंबेडकर का राष्ट्रवाद विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए समानता, न्याय, और समरसता की दिशा में बदलाव लाने की दिशा में था। इन अन्य विचारकों के सिद्धांतों से अलग, उनका ध्यान समाज में समानता और न्याय की महत्ता पर था।

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय समाज में डॉ. भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद की आलोचनात्मक समीक्षा कई दृष्टिकोण से की गई है। वह राष्ट्रवाद को समाज में समानता, न्याय और समरसता की ओर बढ़ाने का माध्यम मानते थे। उनका राष्ट्रवाद समाज में जाति और वर्ण के भेद को नष्ट करके समरसता और समानता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता था।

अंबेडकर ने राष्ट्रवाद के माध्यम से जातिवाद, शोषण और विविधता के खिलाफ अभियान छेड़ा था। उनका मत था कि भारतीय समाज में समाजिक और आर्थिक समरसता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी वर्गों को समानता की भावना से देखा जाए और उन्हें समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाएं। हालांकि, इस दृष्टिकोण को लेकर कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। आलोचक मानते हैं कि अंबेडकर का राष्ट्रवाद ज्यादा मानवीय मूल्यों पर आधारित है और इसमें राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के संदर्भ में कमी है। उन्हें यह संदेश दिया जाता है कि राष्ट्रवाद के तहत समाज में समानता और न्याय को प्राप्त करने के लिए समरसता का स्थान उच्चतम होना चाहिए।

इस प्रकार, अंबेडकर के राष्ट्रवाद पर विचार करते समय, इसे अलग–अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और इसकी आलोचना की जा सकती है।

राष्ट्रवाद पर अम्बेडकर के विचार बहुस्तरीय थे और समय के साथ विकसित हुए। राष्ट्रवाद पर उनका दृष्टिकोण जातिगत भेदभाव के उनके अनुभवों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से रूप लेता है।

राष्ट्रवाद के पहलुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण

सामाजिक न्याय और समानताः अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद को केवल एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रचलित स्वरूप की आलोचना की जिसने जाति के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को नजरअंदाज किया या कायम रखा। उनके लिए, सच्चे राष्ट्रवाद का अर्थ गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक अन्याय को दूर करना और जाति–आधारित भेदभाव को खत्म करना था।

मुख्यधारा के राष्ट्रवाद की आलोचनाः वह मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलनों के आलोचक थे, जिनमें अक्सर उच्च जाति के नेताओं का वर्चस्व होता था, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों की चिंताओं को दरकिनार कर देता था। उनका संदेह इस विश्वास से उपजा था कि ये आंदोलन दलितों और अन्य उत्पीड़ित समूहों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते थे।

संवैधानिक राष्ट्रवादः अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रवाद के एक रूप की वकालत की। उनका मानना था कि संविधान, समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों पर जोर देने के साथ, भारत की विविध आबादी के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ वैश्विक संघर्षों से सबक लेते हुए, उनके पास राष्ट्रवाद पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी था। उन्होंने समानता और न्याय के लिए भारत को अन्य देशों के संघर्षों

से सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोरः अम्बेडकर ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक उत्थान के माध्यम से उत्पीड़ितों को सशक्त बनाकर ही सच्चा राष्ट्रवाद हासिल किया जा सकता है।

धार्मिक राष्ट्रवाद की आलोचनाः अंबेडकर धार्मिक राष्ट्रवाद और इसमें समाज के भीतर विभाजन को बढ़ाने की क्षमता के आलोचक थे। तर्कसंगतता और धर्मनिरपेक्षता पर बल देने का उनका उद्देश्य ऐसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था जो धार्मिक सीमाओं से परे हो।

निष्कर्ष

निश्चित रूप से, अम्बेडकर को 1930 और 40 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के विरोध के कारण और धर्म को अस्वीकार करने के कारण राष्ट्र–विरोधी के रूप में देखा जा सकता है जिसे आज आधिकारिक तौर पर भारतीय जीवनशैली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने उच्च मूल्यों के नाम पर राष्ट्रवाद के इन ब्रांडों को त्याग दिया, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्रवादी नेता दमनकारी भी हो सकते हैं और इस पर बल दिया कि मानव गरिमा किसी भी अन्य चीज़ से अधिक मायने रखती है – जिसमें एक उचित राष्ट्र का निर्माण भी शामिल है। अम्बेडकर न तो राष्ट्र–विरोधी थे और न ही केवल अनुसूचित जाति के नेता थे। वे एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने सर्वाधिक शोषित समुदायों की समस्याओं को समझा और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया।

जहाँ अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद के महत्व को स्वीकार किया, वहीं वे इसकी उन अभिव्यक्तियों के भी आलोचक थे जिन्होंने सामाजिक असमानताओं को कायम रखा। राष्ट्रवाद का उनका दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। संवैधानिक मूल्यों और एक समावेशी, न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकता पर उनके बल ने राष्ट्रवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण को विशिष्ट और विचारोत्तेजक बना दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार किया जिससे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने और बाद में देश को प्रगति के पथ पर लाने में मदद मिली। आज, जब सभी विचार समावेशी राजनीति पर केंद्रित हैं, अंबेडकर पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।

संदर्भ सूची

1. Tripathi, Preeti; Varma, Manoj Kumar, Saimon, Wijeesh Ronit, Rai, Shiv Pratap, (2023) *Political Theory & Concepts* (राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं) (Bilingual Edition), Thakur Publication Private Limited, Ghaziabad, UP, पृ. 239।
2. Kumar, Arun (2023) *भारतीय राजनीतिक चिंतन,* SBPD Publications, ई–बुक, आगरा, उत्तर प्रदेश, पृ. 121।
3. Keer, Dhananjay (1996) *Dr. Babasahab Ambedkar,* Popular Prakashan, Mumbai, पृ. 125।
4. Chandra, Ramesh (2023) *The Biography Edits, BR Ambedkar & A Collection of Valuable Thoughts,* Mocktime Publication, Haryana, पृ. 5।
5. दीपिका कच्छल, (2020) संपादकीय, लोककल्याणकारी राज्य, *Yojana,* December (Hindi), वर्ष 64, अंक 12, Publications Division, लोधी रोड, नई दिल्ली, पेज 5।
6. सिंह, जगदीप एवं कुमारी, मेघा (2021) भारतीय संविधान, K.K. Publications, eBook, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 103।
7. कुमार, बसंत (2021) *डॉ. अंबेडकर और राष्ट्रवाद,* Prabhat Prakashan, नई दिल्ली, पृ. 6।

8. Mantri, Ganesh & Kumar, Basant (2022) Ed. Kumar, Dinkar, *गांधी और अंबेडकर / डॉ अंबेडकर और राष्ट्रवाद / मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ* (Set of 3 Books), नई दिल्ली, पृ. 487।

9. शर्मा, रामविलास (2017) *गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं,* वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 424।

10. धर्मवीर (2015) *डॉ अंबेडकर के प्रशासनिक विचार,* वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 59।

11. माहेश्वरी, आर एवं सिंह, वीथिका (2020) *राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन,* एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस, आगरा, उप्र, पृ. 241।

12. Chandra, Ramesh (2023) *The Biography Edits, BR Ambedkar & A Collection of Valuable Thoughts,* Mocktime Publication, Haryana, पृ. 21।

13. जैन, पुखराज एवं मेहता, जीवन (2021) राजनीति विज्ञान, एसबीपीडी पब्लिकेशन, eBooks, आगरा, उप्र, पृ. 188।

****